पाठ - 6

स्नान (नहाना)

الدرس السادس - هندي

الغسل

पाकी की नीयत से पूरे शरीर पर पानी डालने को स्नान कहते हैं। उसके सही होने के लिए ज़रूरी है कि पूरे शरीर को धोया जाए। साथ ही कुल्ली की जाए और नाक में पानी चढ़ाया जाए। पांच कारणों से नहाना अनिवार्य हो जाता है।

1. जागी हुई हालत में या नींद की हालत में या संभोग करते समय तीव्रता के साथ मणि का ख़ारिज होना। यदि मणि बिना संभोग के, किसी बीमारी के कारण या अधिक ठंडक के कारण निकल जाए तो ऐसी हालत में स्नान वाजिब यानी अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी मणि या उसका निशान देखले तो उसपर स्नान वाजिब होगा, चाहे उसे याद हो या न हो।

2. स्त्री और पुरुष के जनांगों का मिलन यानी यदि पुरुष का लिंग स्त्री के शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो फाल हो या न हो स्नान ज़रूरी हो जाएगा।

3. स्त्रियों की माहवारी के समाप्त होने पर।

4. मृत्यू के बाद मय्यत को स्नान कराना ज़रूरी है।

5. काफ़िर जब इस्लाम में दाखिल होगा तो उसपर स्नान वाजिब हो जायेगा।

नापाक होने के बाद कौन कौन सी चीजें हराम हैं

स्त्री और पुरुष जब संभोग की क्रिया से गुज़रें, चाहे मणि बाहर निकले या न निकले, तो उसमें से हर एक को जुन्बी कहेंगे। और उन पर निम्नलिखित चीज़ें हराम हैं

1. नमाज़ पढ़ना।

2. तवाफ़ करना।

3. कुरआन पाक की तिलावत करना, या उसे छूना।

4. मस्जिद में ठहरना। मस्जिद से गुज़रने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ज़रूरी हो तो मस्जिद में ठहरना भी जायज़ है। और वुज़ू के द्वारा नापाकी को हलका किया जा सकता है।